भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
24.07.2019 के
अतारांकित प्रश्न सं. 5090 का उत्तर

निःशक्तजनों के लिए सुविधाएं

5090. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे को निःशक्तजनों की ओर से उन्हें रेलगाड़ियों में चढ़ने/उतरने के दौरान होने वाली समस्याओं के संबंध में कई अनुरोध/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस संबंध में प्राप्त अनुरोधों/शिकायतों पर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार की निःशक्तजनों और बुजुर्गों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न सुविधाओं को बढ़ाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों को निःशक्तजन हितैषी बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

sk

निःशक्तजनों के लिए सुविधाओं के संबंध में 24.07.2019 को लोक सभा में श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक और श्री बिद्युत बरन महतो के अतारांकित प्रश्न सं. 5090 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): जी हां।

(ख) से (घ): वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निपटान प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) वेब पोर्टल, शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीओएमएस) पोर्टल, सोशल मीडिया आदि सहित विभिन्न माध्यमों से कुल 5,16,680 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इनमें दिव्यांगों से प्राप्त शिकायतें भी शामिल हैं। बहरहाल, गाड़ी में बोर्डिंग/डिबोर्डिंग के दौरान दिव्यांगों द्वारा सामना की जा रही समस्याएं जिसमें विशेष रूप से दिव्यांगों से प्राप्त अनुरोधों/शिकायतों से संबंधित कोई डाटा अलग से नहीं रखा जाता है। शिकायतकर्त्ताओं को जल्द राहत प्रदान करने के लिए ऐसी शिकायतों पर विधिवत रूप से कार्रवाई की जाती है और दिव्यागों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दीर्घकालिक उपाय भी शुरू किए गए हैं।

भारतीय रेल में 8700 से अधिक स्टेशन हैं और रेलवे का हमेशा से ही यह प्रयास रहा है कि रेलवे स्टेशनों पर भिन्न रूप से सक्षम यात्रियों (दिव्यांगजन) सहित यात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं, जोकि एक सतत प्रक्रिया है। यात्रा कर रहे लोगों की जरूरतों और धन की उपलब्धता के आधार पर भारतीय रेल के सभी स्टेशनों पर निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है। निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए सुगम पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सभी स्टेशनों पर निम्नलिखित अल्पकालिक सुविधाओं और दीर्घकालिक सुविधाओं की योजना बनाई गई है जो आरंभ में गैर-उपनगरीय समूह एनएसजी-1, एनएसजी-2, एनएसजी-3 एवं एनएसजी-4 (पूर्ववर्ती ए-1, ए एवं बी) कोटि के स्टेशनों से शुरू होगी।

sk

भारतीय रेल में स्टेशनों की सभी कोटियों के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए अब तक रेलवे स्टेशनों पर मुहैया कराई गई अल्पकालिक सुविधाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निःशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधा (दिव्यांगजन)	स्टेशनों की अनुमानित संख्या, जहां सुविधा मुहैया करा दी गई है
1	निर्बाध रूप से प्रवेश हेतु स्टैंडर्ड रैम्प	2670
2	कम-से-कम दो पार्किंग स्थान निर्धारित करना	1604
3	पार्किंग लॉट से स्टेशन बिल्डिंग तक फिसलन रहित मार्ग	1557
4	समुचित दृश्यता के संकेतक	1607
5	नि:शक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के उपयोग हेतु पीने के पानी का कम-से-कम एक नल	2184
6	कम-से-कम एक शौचालय (भूतल पर)	2757
7	'क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं' बूथ	1322

एनएसजी-1 से एनएसजी-4 श्रेणी के स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए मुहैया कराए जाने वाली दीर्घकालिक सुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	निःशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधा (दिव्यांगजन)	स्टेशनों की अनुमानित संख्या, जहां सुविधा मुहैया करा दी गई है
1	प्लेटफार्मों के किनारों पर एन्ग्रेविंग।	1939
2	अंतर-प्लेटफार्म आवागमन हेतु सुविधा की व्यवस्था करना।	1288

sk

दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में की गई पहल, जिसमें अधिकांश स्टेशनों पर व्हीलचेयर के प्रावधान और बैट्री परिचालित वाहन (बीओवी), एस्केलेटर, लिफ्टें, रैम्प, पीने के पानी के नल, ब्रेल साइन संकेतक, आदि जैसी अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा, दिव्यांगजनों को सहायता मुहैया कराने के लिए दिव्यांग निरीक्षक नियुक्त/नामित किए जा रहे हैं। दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों सहित रेल उपयोगकर्त्ताओं के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाना एक सतत् और चालू प्रक्रिया है।

******

sk